

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019

प्रार्थी
तहसीलदार भू.अ. सायला
जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी
श्री अलफू वल्द जमाल
जातियान मुसलमान निवासी थलवाड

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती


उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेंपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसराओं के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1687/1703 रकबा 0.12 हे. में अलफू वल्द जमाल कौम मोयला सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1687/1703 रकबा 0.12 हे. में मफरीकंवर पत्नी मरारसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1687/1803 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1687/1803 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावे ताकि मिसल बन्दोबस्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1687/1803 की बजाय 1687/1703 शुद्ध/संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम थलवाड के खसरा नम्बर 1687/1803 के बजाय 1687/1703 राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
सायला (राज.)

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1687/1703 रकबा 0.12 हे. में अलफू वल्द जमाल कौम मोयला सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1687/1703 रकबा 0.12 हे. में मफरीकंवर पत्नी मसरसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1687/1803 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1687/1803 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1687/1803 के बजाय 1687/1703 को नक्शे में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंभा अनुसार सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1687/1803 के बजाय 1687/1703 को नक्शे में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड के खसरा नम्बर 1687/1803 के बजाय 1687/1703 को सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रिकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक 20/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला अधिकारी
सायला (राज.)